न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 127/2014 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2009/00012**

1. राजविन्द्र सिह पुत्र सतनाम सिंह जाति जटसिख, निवासी 3 एफ.डी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगराज सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जट सिख निवासी चक 3 एफ.डी. तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर।
2. बलराज सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जट सिख निवासी चक 3 एफ.डी. तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर।
3. नायब सिह पुत्र जोगन्द्र सिह जाति जट सिख निवासी चक 3 एफ.डी. तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर।

3/1 रणजीत कौर पत्नी नायब सिंह
3/2 जसकरण सिंह पुत्र नायब सिंह
3/3 बलकरण सिंह पुत्र नायब सिंह
3/4 परमजीत कौर पुत्री नायब सिंह
3/5 मनजीत कौर पुत्री नायब सिंह
3/6 गुरजीत कौर पुत्री नायब सिंह
} जट सिख निवासी चक 3 एफ.डी. तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर।

4 अजायब सिह पुत्र जोगन्द्र सिह जाति जट सिख निवासी चक 3 एफ.डी. तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर।
5 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार रायसिंहनगर
6 बलजीत कौर पत्नी सतनाम सिह जाति जटसिंख निवासी चक 3 एफ.डी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट्स — श्री नायब सिंह
अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 ता 4 — श्री ऋतुराज तंवर व नितिन मारू

निर्णय

दिनांक 13.10.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपतहसीलदार, गजसिंहपुर के आदेश दिनांक 16.10.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 3 एफ डी तहसील रायसिंहनगर का पं.स. 242/210 मुरब्बा नंबर 02 के किला नंबर 3, 8, 13, 15/2, 16, 18, 23, एवं 25 कुल किला 8 तथा कुल क्षेत्रफल 1.886 हैक्टेयर, एवं पं.नं. 239/210 मुरब्बा नंबर 5 के किला नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13/2, 14, 15, 16, 17, 24 तथा 25 कुल किला 13 क्षेत्रफल 3.162 हैक्टेयर खाते का कुल योग 21 किला और क्षेत्रफल 5.048 हैक्टेयर नहरी भूमि जोगेन्द्र सिंह पुत्र भंगा सिंह के नाम खातेदारी दर्ज थी। खातेदार जोगेन्द्र सिंह पुत्र भागा सिंह ने दिनांक 29.08.2008 को उक्त वादगत भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष में की गई। खातेदार जोगेन्द्र सिंह पुत्र भंगा सिंह का स्वर्गवास

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 16.09.2009 को हो गया। खातेदार जोगेन्द्र सिंह पुत्र भंगा सिंह का स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट ने अपने पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र उपतहसीलदार गजसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। इसी कृषि भूमि के संबंध में इंतकाल दर्ज करने का एक अन्य प्रार्थना–पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने उपतहसीलदार गजसिंहपुर के समक्ष वसीयत दिनांक 31.05.2006 के आधार पर प्रस्तुत किया। उक्त दोंनों वसीयतों पर निर्णय करते हुए उपतहसीलदार गजसिंहपुर ने वसीयत दिनांक 31.05.2006 को विश्वनीय मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 16.10.2009 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, गजसिंहपुर के उक्त आदेश दिनांक 16.10.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमिपं.स. 242/210 मुरब्बा नंबर 02 के किला नंबर 3, 8, 13, 15/2, 16, 18, 23, एवं 25 कुल किला 8 तथा कुल क्षेत्रफल 1.886 हैक्टेयर, एवं पं.नं. 239/210 मुरब्बा नंबर 5 के किला नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13/2, 14, 15, 16, 17, 24 तथा 25 कुल किला 13 क्षेत्रफल 3.162 हैक्टेयर खाते का कुल योग 21 किला और क्षेत्रफल 5.048 हैक्टेयर नहरी भूमि जोगेन्द्र सिंह पुत्र भंगा सिंह के नाम खातेदारी दर्ज थी। खातेदार जोगेन्द्र सिंह पुत्र भागा सिंह ने दिनांक 29.08.2008 को उक्त वादगत भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष में की गई। खातेदार जोगेन्द्र सिंह पुत्र भंगा सिंह का स्वर्गवास दिनांक 16.09.2009 को हो गया। खातेदार जोगेन्द्र सिंह पुत्र भंगा सिंह का स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट ने अपने पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र उपतहसीलदार गजसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत नोटरी से प्रमाणित है व नियमानुसार दो गवाहान से तस्दीक है। इस वसीयतनामें को किसी भी स्तर पर/ किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। यह वसीयत कर्ता की अंतिम वसीयत है। इससे पूर्व किसी भी वसीयतनामें को जो उसके द्वारा निष्पादित किया गया है, को उसके द्वारा निरस्त करने का निर्देश भी दिया गया है। खातेदार जोगेन्द्र सिंह द्वारा दो वसीयते दिनांक 31.05.2006 तथा 29.08.2008 को अलग–अलग पक्षकारों के पक्ष में निष्पादित है, विधि का सर्वमान्य नियम हैं कि वसीयतकर्त्ता द्वारा अंमि निष्पादित वसीयत को मान्यता दी जाती है। उक्त दोनों वसीयतनामें में से अंतिम वसीयत दिनांक 29.08.2008 की है, जो अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की गई है। दो वसीयतनामें में कौनसी वसीयत सही है या विश्वसनीय है, इसका निर्णय राजस्व न्यायालय स्तर पर नहीं किया जा सकता, विवादित वसीयत सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रकरण है। केवल अंतिम वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज किया जाना हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने यह जांच का बिन्दु बनाया कि कौनसी वसीयत ज्यादा विश्वसनीय है। प्रथमतः तो यह विन्दु राजस्व न्यायालय में क्षेत्राधिकार में ही नही आता है। प्रकरण में हल्का पटवारी रिपोर्ट नहीं ली गई है। संबंधित पक्षकारों की विधिवत सुनवाई गवाहों के परीक्षण आदि की औपचारिकताएं भी नहीं की गई है। प्रकरण को सूचनार्थ राज्य स्तरीय समाचार–पत्र में आपत्तिया प्राप्ति हेतु साया नही किया गया हैं। पक्षकारों को विधिवत नोटिस नहीं दिए गए है। अपीलाधीन आदेश में अंकित है कि वसीयत दिनांक 28.08.2008 के पैरा नंवर 3 में ''तो'' ''शब्द संश्यात्मक है, वसीयतकर्ता को पूर्व वसीयत का ज्ञान नहीं था और दिनांक 28.08.2008 के वक्त भी जोगेन्द्र सिंह की मानसिक याददास्त सही नहीं थी।'' इस तथ्य की पुष्टि हेतु पंजिका में कोई चिकित्सीय प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है न ही किसी चिकित्सा विशेषज्ञ की गवाही संलग्न है जिसके आधार पर यह कहा जा सके, कि वसीयतकर्ता जोगेन्द्र सिंह दिनांक 28.08.2008 को अपनी याददास्त खो चुके थे अथवा उसकी याददास्त इतनी कमजोर हो गई थी कि वह पूर्व में की गई वसीयत से अनभिज्ञ थे। जोगेन्द्र सिह

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 29.08.2008 को पूर्णतः स्वस्थ्य व होशों–हवास में थे। इसी दिनांक को वे उप–पंजियक कार्यालय गजसिंहपुर में व्यक्तिशः उपस्थित हुए तथा अपनी कृषि भूमि के मुरब्बा नंबर 2 के किला नंवर 3, 8, 13, 18 एवं 23 के कुल 1.265 हैक्टयर नहरी भूमि का बैयनामा अपनी पुत्रवधु के पक्ष में तस्दीक करवाया हैं। इस प्रकार आधी अधुरी वसीयत अब लागू नही की जा सकती। आंशिक रूप से शेष बची वसीयत में नामांतकरण करने का आदेश हल्का पटवारी को नही दिया है इस प्रकार दिनांक 16.10.2009 को पारित निर्णय अपूर्ण है, जो अंतिम नहीं रहा है। अब इसके आधार पर कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5/6 ने अपील बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में दिनांक 31.05.2006 को वसीयत निष्पादित हुई थी वह वसीयत उप पंजीयक कार्यालय गजसिंहपुर से पूर्ण रूप से विधिवत रूप से पंजीबद्ध हैं इस प्रकार दिनांक 31.05.2006 को हुई वसीयत पूर्ण रूप से वेध एवं विधिसम्मत है। अपीलांट द्वारा जो तथाकथित वसीयत अपने पक्ष में की जानी बताया है। वह वसीयत प्रथम दृष्टतया संदिग्ध हैं। प्रत्येक वसीयत जो अंतिम हो उस वसीयत को मात्र इस आधार पर ही सही, सत्य एवं विधि मान्य नही बना देता कि वह वसीयत अंतिम हैं जब तक की वह वसीयत बिना संदिग्धता के परे साबित नही कर दी जाती है। अपीलांट के पक्ष में हुई वसीयत प्रथत दृष्टतया स्पष्ट है कि पूर्णरूप से धोखे में लेकर बनाई गई है और पूर्णरूपेन संदिग्ध हैं। अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत का स्टाम्प वसीयतकर्ता द्वारा नही लिया गया तथा जो स्टाम्प भी क्रय किये गए हैं वह शपथ–पत्र के प्रयोजन हेतु किया गया हैं इसका अर्थ स्पष्ट हैं कि शपथ–पत्र के स्टाम्प पर जानबूझकर गलत तरीके से बिना वसीयतकर्ता की सहमति से धोखे से उक्त फर्जी वसीयत बनाई गई है। अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत वसीयतकर्ता की स्वस्थचित मस्तिषक से होती तो उसे इस बात का ज्ञान होता कि पूर्व में उसके द्वारा दिनांक 31.05.2006 को एक वसीयत रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में निष्पादित की जा चुकी है परन्तु चूकि अपीलांट द्वारा धोखे से उक्त वसीयत निष्पादित करवाई गई हैं। अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत से पूर्व में रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में दिनांक 31.05.2006 को करवाई गई वसीयत को स्पष्ट कथनों में इंकार करता जबकि अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत के पैरा संख्या 3 में ''यह कि इससे पूर्व मैने जो भी वसीयत पंजीकृत करवाई हुई हो तो इस वसीयतनामा के माध्यम से वह वसीयतनामा निरस्त माना जाये व उसे मै निरस्त करता हूँ'' का कथन नहीं किया होता क्योकि वसीयतकर्ता को उक्त वसीयत की पंजीयन के संबंध में पूर्ण जानकारी थी इसलिए वह स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करता है ''कि मेरे द्वारा इससे पूर्व जो वसीयत रेस्पोडेन्ट के पक्ष में कर रखी है को इस वसीयत के माध्यम से निरस्त करता हूँ।'' परन्तु उसके द्वारा जो वसीयत में कथनों का उपयोग किया गया है वह इस बात की तरफ पूर्णरूपण संकेत देते है कि वसीयतकर्ता को वसीयत की जानकारी नही थी। अपीलांट की वसीयत इस कारण भी प्रथम दृष्टतया धोखे से की गई प्रतीत होती है क्योकि वसीयतकर्ता द्वारा अपीलांट के साथ उसी दिन जाकर दिनांक 29.08.2008 को एक बैयनामा उप पंजीयक कार्यालय गजसिंहपुर में जाकर निष्पादित करवाया गया था। यदि वसीयतकर्ता की अपीलांट के पक्ष में वसीयत करने की इच्छा होती तो वह उसी दिन जब विक्रय विलेख उप पंजीयक कार्यालय रायसिंहनगर में निष्पादित कर रहा था तो वसीयत भी उप पंजीयक कार्यालय में निष्पादित करके पंजीबद्ध करवा सकता था। इसलिए अपीलांट के पक्ष में दशाई गई वसीयत विधि में कोई महत्व नही रखती है। रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में जबसे वसीयत की गइ है तब से आज दिनांक तक वसीयत संपति पर रेस्पोडेन्ट का वसीयत के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अनुसार कब्जा चला आ रहा है। पानी की बारी भी उनके नाम से ही आ रही हैं। प्रथमतः राजस्थान में कानूनन किसी वसीयत की प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है। द्वितीयतः चूंकि अपीलांट के पक्ष में जो वसीयत है पूर्णरूपेन संदिग्ध है तथा धोखे से निष्पादित करवाई हुई है जबकि रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई वसीयत पूर्णरूपेण विधिपूर्ण एवं पंजीबद्ध है और माननीय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को चूंकि सही वसीयत के आधार पर मात्र राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज के संबंध में निर्णय पारित करना था इसलिए माननीय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय पूर्णरूपेण विधिसम्मत हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.10.2009 को संपुष्ट किया जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार गजसिंहपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2009 पारित करते हुए दिनांक 31.05.2006 को अभिलिखित वसीयत को ज्यादा विश्वनीय मानकर वसीयत दिनांक 31.05.2006 के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया, परन्तु खातेदार जोगेन्द्र सिंह द्वारा एक वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की गई हैं। खातेदार जोगेन्द्र सिंह द्वारा उक्त वसीयत द्वारा खाता संख्या 18 मुरब्बा नंबर 02 के किला नंबर 15, 16, 25 एवं मुरबा नंबर 05 पं.स. 239/210 के किला नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13/2, 14, 15, 16, 17, 24, 25 कुल 3.783 हैक्टयर भूमि को अपीलांट के पक्ष में कर दी। उक्त अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 31.05.2006 के पश्चात दिनांक 29.08.2008 को की गई है। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि दो वसीयतों में से जो वसीयत बाद में निष्पादित की गई हो वह मान्य की जाती है। अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, गजसिंहपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2009 निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर